

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

प्रेषक,
अरुण कुमार सिंह,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।
सेवा में,
महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, राँची।
द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक- 01/06/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय मद से 09 नगर परिषदों में पदस्थापित प्रशासी पदाधिकारी/ अभियंताओं के वेतनादि भुगतान हेतु प्राप्त मांग के आलोक में कुल 1,61,81,158/- रु० (एक करोड़ इकसठ लाख इक्यासी हजार एक सौ अन्ठावन रुपये) मात्र अनुदान राशि के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय मद से 09 नगर परिषदों में पदस्थापित प्रशासी पदाधिकारी/अभियंताओं के वेतनादि भुगतान हेतु प्राप्त मांग के आलोक में कुल 1,61,81,158/- रु० (एक करोड़ इकसठ लाख इक्यासी हजार एक सौ अन्ठावन रुपये) मात्र अनुदान राशि के आवंटन की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

क्र.	नगर परिषद का नाम	कुल आवंटित राशि	कोषागार/उप कोषागार	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
i	ii	iii	iv	v
1	झुमरी तिलैया	20,00,000	कोडरमा	कार्यपालक पदाधिकारी
2	गुमला	35,57,050	गुमला	कार्यपालक पदाधिकारी
3	लोहरदगा	17,00,880	लोहरदगा	कार्यपालक पदाधिकारी
4	गढ़वा	4,82,807	गढ़वा	कार्यपालक पदाधिकारी
5	गोड्डा	16,03,706	गोड्डा	कार्यपालक पदाधिकारी
6	दुमका	12,00,000	दुमका	कार्यपालक पदाधिकारी
7	चक्रधरपुर	14,60,660	चक्रधरपुर	कार्यपालक पदाधिकारी
8	जुगसलाई	26,76,055	जमशेदपुर	कार्यपालक पदाधिकारी
9	धिरकुण्डा	15,00,000	धनबाद	कार्यपालक पदाधिकारी
कुल आवंटित राशि		1,61,81,158	(एक करोड़ इकसठ लाख इक्यासी हजार एक सौ अन्ठावन रु०)	

2. स्वीकृत अनुदान राशि की निकासी नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) के मांग संख्या-48 के अधीन स्थापना मद के मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास-उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य-लघु शीर्ष-192-नगरपालिकाओं/नगरपालिका परिषदों को सहायता-उपशीर्ष-40-शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित कार्यपालक एवं अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य भत्ते पर व्यय हेतु अनुदान-विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान-46-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) (विपत्र कोड-48S221780192400646) के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि रु० 342.60 लाख से की जायेगी।

3. स्वीकृत अनुदान राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपरोक्त तालिका में निकाय के नाम के सम्मुख स्तंभ-V में उल्लेखित पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी स्तंभ-IV में अंकित कोषागार/उपकोषागार से विपत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत की जायेगी।

4. स्वीकृत राशि विभाग के स्तर से पदस्थापित प्रशासी पदाधिकारी एवं अभियंताओं के वेतनादि के लिए है, जिनका पदस्थापन स्वीकृत पद के विरुद्ध किया गया है। विभाग स्तर से संविदा पर नियुक्त अभियंताओं को उक्त स्वीकृत राशि से इस शर्त पर वेतन देय होगा कि संबंधित अभियंता के नियुक्ति पत्र में वेतनादि का भुगतान विभाग स्तर से किये जाने का प्रावधान किया गया हो।

13

K.K.Sha

3

13

5. विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष में निकासी की गयी राशि की उपयोगिता संबंधी विवरणी निम्नवत् है:-

क्र०	नगर परिषद का नाम	स्वीकृत्यादेश की संख्या/तिथि	निकासी की गयी राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि
1	झुमरी तिलैया	46/10.06.16	5,306,840	5,306,840
2	गुमला	46/10.06.16	1,068,221	1,068,221
		381/22.03.17	280,000	280,000
3	लोहरदगा	46/10.06.16	3,487,157	3,487,157
4	दुमका	46/10.06.16	50,717,113	50,717,113
		381/22.03.17	17,376,655	17,376,655
5	चक्रधरपुर	46/10.06.16	2,628,424	2,628,424
6	गढ़वा	46/10.06.16	383,299	383,299
7	जुगसलाई	46/10.06.16	4,238,316	4,238,316
8	गोड्डा	44/10.06.16	1,640,669	1,640,669
9	चिरकुण्डा	58/20.06.16	7,25,000	7,25,000

6. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 की कंडिका-5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् झारखण्ड कोषागार अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित विपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

7. स्वीकृत अनुदान की राशि की निकासी/व्यय वित्त विभागीय परिपत्र सं०-2561/वि०, दिनांक-17.04.98 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्र/अनुदेश के आलोक में नियम-संगत तरीके से की जायेगी तथा इस राशि से राज्य गठन के पूर्व का बकाया भुगतान नहीं किया जायेगा।

8. स्वीकृत अनुदान राशि से संबंधित निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी एवं अभियन्ता के वेतनादि (यात्रा भत्ता सहित), बकाया वेतन एवं अन्य भत्ता का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा और वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरांत राशि अवशेष रह जाती है, तो उसे ससमय प्रत्यर्पित किया जायेगा।

9. संबंधित निकाय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आवंटित राशि के भुगतान के पश्चात् व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में टी०भी०नं० एवं तिथि के साथ सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सीधे भेजते हुए उसकी एक प्रति सरकार को उपलब्ध करायेंगे।


10. संबंधित निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के बजट संबंधित धाराओं का अनुपालन करते हुए राशि का आहरण करेंगे। साथ ही, निकाय के लेखा में राशि को सम्मिलित करने के पश्चात् नियमानुसार व्यय करेंगे।

11. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग तथा राज्य वित्त (अंकेक्षण) विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों को देखने, जांच-पड़ताल एवं अंकेक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 (कंडिका-5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।


विश्वासभाजन


(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-02/न०वि०/स्था०व्यय/पदा०वेतन/न०प०/116/2018-.....28.....राँची, दिनांक-.....01/06/18

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग/दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची/संथाल परगना प्रमंडल, दुमका/कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा एवं पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर/उपायुक्त, कोडरमा, गुमला, लोहरदगा, गढ़वा, गोड्डा, दुमका, पश्चिमी तथा पूर्वी सिंहभूम, धनबाद/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/स्थानीय लेखा परीक्षक, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा, गुमला, लोहरदगा, गढ़वा, गोड्डा, दुमका, चक्रधरपुर, जमशेदपुर, धनबाद/कार्यपालक पदाधिकारी, झुमरी तिलैया, गुमला, लोहरदगा, गढ़वा, गोड्डा, दुमका, चक्रधरपुर, जुगसलाई एवं चिरकुण्डा/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ऑनलाईन आवंटन हेतु श्री संदीप अग्रवाल, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर मुख्य सचिव।